



वनियोग वधियक 2020-21

प्रिलमिस के लयि:

वनियोग वधियक, भारत की संचति नधि

मेन्स के लयि:

वनियोग वधियक से संबंघति तथ्य और इसकी प्रसंगिकता

चर्चा में क्यो?

लोकसभा ने वभिनि मंत्रालयो की अनुदान मांगो को मंजूरी देने के साथ ही वर्ष 2020-21 के लयि भारत की संचति नधि (Consolidated Fund of India) से सरकार को राश की नकिसी का अधिकार देने वाले वनियोग वधियक 2020-21 (Appropriation Bill 2020-21) को पारति कर दया है।

मुख्य बदि:

- इस वधियक में सरकार को उसके कामकाज और कार्यकर्मो तथा योजनाओ को अमल में लाने के लयि भारत की संचति नधि से 110 लाख करोड़ रुपए नकिलाने हेतु अधिकृत करने का प्रवधान है।
- अब अगले चरण में वतित वधियक पर चर्चा करके उसे मंजूरी दी जाएगी। वतित वधियक में कर प्रसतावो का ब्योरा होता है।
- COVID-19 के चलते सत्र स्थगन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बरिला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि 3 अप्रैल की अपनी नरिधारति तथि से पहले सत्र में कटौती की कोई योजना नहीं है।
- वनियोग वधियक के पारति होने के साथ ही वर्ष 2020-21 के बजट को पारति करने की दो-तहिाई प्रकरया पूरी हो गई है।
- वतित मंत्री नरिमला सीतारमण द्वारा एक फरवरी को पेश कयि गए बजट पर लोकसभा और राज्यसभा ने बजट के प्रवधानो पर मौजूदा सत्र के पहले चरण में चर्चा की। सत्र के दूसरे हसिसे में लोकसभा ने वनियोग वधियक को पारति कयि है।
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बरिला ने वभिनि मंत्रालयो के लयि अनुदान मांगो को मंजूरी देने हेतु सदन में 'गलोटनि' (Guillotine) का रास्ता अपनाया।

गलोटनि

- अलग अलग मंत्रालयो की अनुदान मांगो पर चर्चा के लयि संसद के पास समय नहीं होता है।
- ऐसे में कुछ ही मंत्रालयो के खर्च या अनुदान मांगो को पहले से नरिधारति समय पर चर्चा के लयि रखा जाता है।
- इसके पूरा होने के बाद अन्य मंत्रालयो की अनुदान मांगो को एक साथ रखकर इसे पारति कराया जाता है जसि गलोटनि कहते हैं।
- लोकसभा में रेलवे, सामाजिक न्याय और अधिकारति मंत्रालय की अनुदान मांगो पर वसितार से चर्चा की गई।
- पर्यटन कषेत्र पर COVID-19 के प्रभाव के बारे में भी चर्चा की गई और केंद्र सरकार से अन्य देशो की तरह राहत पैकेज प्रदान करने का आग्रह कयि गया।

वनियोग वधियक:

- संवैधानिक प्रवधान के अंतर्गत संसद द्वारा कानून अधनियमति कयि बना भारत की संचति नधि से कोई धन आहरति नहीं कयि जा सकता।
- इसका अनुपालन करते हुए लोकसभा द्वारा संचति नधि पर भारति व्यय के साथ-साथ मतदान कयि जाने वाले अनुदानो की सभी मांगो को सम्मलति करने वाले वधियक को लोकसभा में पुर:स्थापति कयि जाता है।
- इस वधियक को वनियोग वधियक के रूप में जाना जाता है।
- इसके नाम के अनुसार इस वधियक का प्रयोजन सरकार को संचति नधि से कयि जाने वाले व्यय का वनियोजन करने हेतु वधिकि प्राधिकार प्रदान करना है।

भारत की संचति नधि:

- इसका उल्लेख संवधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है।
- भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन (कर से प्राप्त राजस्व तथा ऋण उधार से प्राप्त होने वाला राजस्व) इसी में जमा होता है।
- संसद द्वारा वनियोग वधियक या अनुपूरक अनुदान संबंधी वधियक पारति करने पर ही इस नधिसे धनराशानिकाली जा सकती है।
- संवैधानिकि पदाधकारि के वेतन-भत्ते इस नधिसे दयि जाते हैं। ऐसे व्यय को भारति व्यय कहा जाता है, जिसके संबंध में लोकसभा में मतदान होता है।

स्रोत- द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/appropriation-bill-2020-21>

